

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),

जयपुर

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 148/2005 (आरसीएमएस संख्या : 2005/00025)

सरकार जरिये तहसीलदार, फागी, जिला-जयपुर।

प्रार्थी,

वनाम

1. रामसहाय पुत्र श्री जीवण, जाति-ब्राह्मण, निवासी-पालडी, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।(मृतक)
1/1 कैलाशचन्द पुत्र स्व० श्री रामसहाय, जाति-ब्राह्मण, निवासी-पालडी, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
2. भंवरलाल पुत्र श्री हरिनारायण, जाति-ब्राह्मण, निवासी-पालडी, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
3. घासीलाल पुत्र श्री रामनारायण, जाति-ब्राह्मण, निवासी-पालडी, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।(मृतक)
3/1 सीताराम पुत्र स्व० श्री घासीलाल, जाति-ब्राह्मण, निवासी-पालडी, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
3/2 राधामोहन पुत्र स्व० श्री घासीलाल, जाति-ब्राह्मण, निवासी-पालडी, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
3/3 हनुमान पुत्र स्व० श्री घासीलाल, जाति-ब्राह्मण, निवासी-पालडी, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
3/4 बजरंगलाल पुत्र स्व० श्री घासीलाल, जाति-ब्राह्मण, निवासी-पालडी, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
3/5 सोहन वाई पुत्री स्व० श्री घासीलाल पत्नी गजानन्द शर्मा, जाति-ब्राह्मण, निवासी-खेडा लदाना, तहसील-चाकसू, जिला-जयपुर।
4. रामप्रसाद पुत्र श्री रामनारायण, जाति-ब्राह्मण, निवासी-पालडी, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
5. रामस्वरूप पुत्र श्री रामनारायण, जाति-ब्राह्मण, निवासी-पालडी, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
6. मदनलाल पुत्र श्री रामनारायण, जाति-ब्राह्मण, निवासी-पालडी, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपटित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :-

1. परोकार सरकार।
2. श्री शिव कुमार सिंह, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 1/1 की ओर से।
3. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 3/1 से 3/3 व 3/5 की ओर से। वरवक्त बहस अनुपस्थित। अतः एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
4. अप्रार्थी संख्या 2, 3/4, 4, 5 व 6 बावजूद सूचना असागतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।




निर्णय

दिनांक : 29.11.2019

तहसीलदार, फागी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि ग्राम-पालडी की आराजी खसरा नं० 206 रकबा 07 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री चतुरभुज जी महाराज बहतमाम पुजारी भंवरलाल पुत्र श्री हरिनारायण हिस्सा 1/4 रामनारायण पुत्र श्री रामकंवार हिस्सा 1/4 सूरजकरण व रामसहाय पि० श्री जीवन हिस्सा 1/2 ब्राह्मण साकिन देह मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011-2030 में दर्ज थी जो कालान्तर में बिना किसी वैध आदेश के रामसहाय पुत्र श्री जीवन, जाति-ब्राह्मण, सा० देह मु०क० खातेदार के नाम दर्ज हो गई तत्पश्चात् डिक्री के आधार पर जरिये नामान्तरकरण सं० 106 भंवरलाल पुत्र श्री हरिनारायण हिस्सा 1/4 घासीलाल रामप्रसाद रामस्वरूप मदनलाल पि० श्री रामनारायण हिस्सा 1/4 रामसहाय पुत्र श्री जीवन हिस्सा 1/2 ब्राह्मण साकिन देह के नाम दर्ज होकर जमाबन्दी सम्वत् 2059-2062 में खातेदारी रामसहाय पुत्र श्री जीवन हिस्सा 1/2 भंवरलाल पुत्र श्री हरिनारायण हिस्सा 1/4 घासीलाल रामप्रसाद रामस्वरूप मदनलाल पि० श्री रामनारायण हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज है जो पुनः माफी मन्दिर श्री चतुरभुज जी महाराज वाके देह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1/1 के अतिरिक्त शेष सभी अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।


विद्वान् परोकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्वान् परोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011-2030 के कॉलम सं० 03 नाम मातमीदार व हिस्सेदार में माफी मन्दिर श्री चतुरभुज जी महाराज बहतमाम पुजारी भंवरलाल पुत्र श्री हरिनारायण हिस्सा 1/4 रामनारायण पुत्र श्री रामकंवार हिस्सा 1/4 सूरजकरण व रामसहाय पि० श्री जीवन हिस्सा 1/2 ब्राह्मण साकिन देह दर्ज थी जो बिना किसी वैध आदेश के अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये रामसहाय पुत्र श्री जीवन, जाति-ब्राह्मण, सा० देह मु०क० खातेदार के नाम दर्ज की गई है तत्पश्चात् विभिन्न नामान्तरकरण के फलस्वरूप भंवरलाल पुत्र श्री हरिनारायण हिस्सा 1/4 घासीलाल रामप्रसाद रामस्वरूप मदनलाल पि० रामनारायण हिस्सा 1/4 रामसहाय पुत्र श्री जीवन हिस्सा 1/2 के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2059-2062 में दर्ज है जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया



गया हस्तान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। मन्दिर/मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, जरिये डिक्री अथवा अन्य किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वयं काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेंगे अतः इन्द्राजों को निरस्त कर विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री चतुरभुज जी महाराज वाके देह के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

अप्रार्थी संख्या 1/1 के विद्वान् अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1/1 मृतक रामसहाय का जायज वारिस है और आराजी खसरा नं० 206 रकबा 07 बिस्वा रामसहाय के नाम मु०क० खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। माफी मन्दिर की आराजी नहीं है। वादग्रस्त आराजी गैर-मुमकीन चाह है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय-पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू-प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2011-2030 में माफी मन्दिर श्री चतुरभुज जी महाराज बहतमाम पुजारी भंवरलाल पुत्र श्री हरिनारायण हिस्सा 1/4 रामनारायण पुत्र श्री रामकंवार हिस्सा 1/4 सूरजकरण व रामसहाय पि० श्री जीवन हिस्सा 1/2 ब्राह्मण साकिन देह दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का डिक्री/हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता है। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क है। देवमूर्ति की आराजी से यदि पुजारी द्वारा काश्त भी की गई है तो भी खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी भूमि में विद्यमान है। माफी मन्दिर श्री चतुरभुज जी महाराज बहतमाम पुजारी भंवरलाल पुत्र श्री हरिनारायण हिस्सा 1/4 रामनारायण पुत्र श्री रामकंवार हिस्सा 1/4 सूरजकरण व रामसहाय पि० श्री जीवन हिस्सा 1/2 ब्राह्मण साकिन देह की विवादग्रस्त आराजी से यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा-काश्त भी की गई है तो वह



मूर्ति का कब्जा-कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना गया है और उसको खातेदारी अधिकार दिये जाना अविधिक हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी मन्दिर श्री चतुरभुज जी महाराज बहतमाम पुजारी भंवरलाल पुत्र श्री हरिनारायण हिस्सा 1/4 रामनारायण पुत्र श्री रामकंवार हिस्सा 1/4 सूरजकरण व रामसहाय पि० श्री जीवन हिस्सा 1/2 ब्राह्मण साकिन देह की भूमि का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2059-2062 में निजी खातेदारी बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज तथा पश्चात्वर्ती डिक्री व इसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 106 ग्राम पालडी प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री चतुरभुज जी महाराज वाके देह के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को दिनांक 28.01.2020 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(Handwritten Signature)
अति. कलेक्टर (द्वितीय)
जयपुर